[illegible]

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]

[illegible] जाति माली निवासी कोण्डला [illegible]

वादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र मांग्या
2. मनीराम पुत्र भजन
3. बनैसिंह पुत्र भजन
4. मीरा पत्नि बनैसिंह

जाति माली निवासी कोण्डला तहसील महवा जिला दौसा

5. शाखा प्रबन्धक बैंक आफ बडौदा शाखा खेडला बुजुर्ग
6. शाखा प्रबन्धक, सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा महवा
7. तहसीलदार महवा

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 28–06–2019

वादीगण के वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कोण्डला तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 411/0.33, 412/0.02, 413/0.35, 414/0.05, 415/0.70, 416/0.52, 417/0.50,418/0.03, 419/0.08, 450/0.06, 451/0.38, 453/0.06, 454/0.20 कुल किता 13 रकबा 3.28 हैक्टयर वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज गुटका की छोडी हुई आराजी है तथा पैतृक आराजी है। वादीगण व प्रतिवादीगण का शजरा [illegible]

[illegible]ण्ड अधिकारी
[illegible] (जिला दौसा)

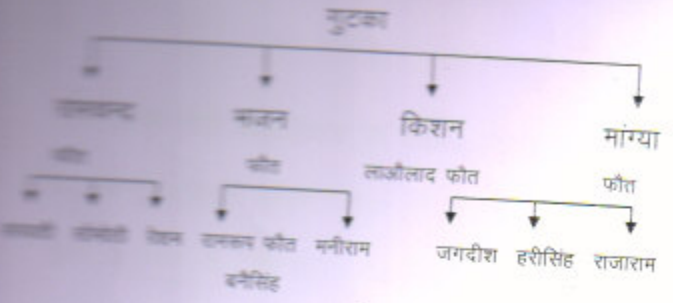

पूर्वज गुटका द्वारा छोडी गयी आराजी में चारों भाई रामचन्द, भजन, किशन मांग्या का बहिस्सा बराबर अर्थात प्रत्येक का 1/4 व 1/4 हिस्सा है। किन्तु रामचन्द की मृत्यु के पश्चात उसके 1/4 हिस्सा का विरासत का नामान्तरकरण संख्या 202 उसकी तीन पुत्रियों सरवती सोमोती रेशम के पक्ष में खोला गया जिनके हलफनामा के आधार पर रामचन्द्र के 1/4 हिस्सा के 1/2 भाग को जगदीश प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में तथा 1/2 भाग को मनीराम प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में अर्थात जगदीश व मनीराम प्रत्येक को 1/8 भाग का नामान्तरकरण संख्या 202 तस्दीक किया गया है। इसके पश्चात किशन की मृत्यु होने पर गुटका के शेष दो पुत्र भजन व मांग्या के पक्ष में मृतक के 1/4 भाग का नामान्तरकरण संख्या 196 खोला गया। भजन व मांग्या के पक्ष में 1/8 हिस्सा का नामान्तरकरण खोला गया। इस प्रकार वादीगण का पिता मांग्या सम्पूर्ण आराजी में 1/2 हिस्सा का खातेदार हो गया। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 अपने पिता

उपखण्ड अधिकारी
महुवा (जिला दौसा)

द्वारा छोड़ी गयी आराजीयात पर काबिज काश्त चले आ रहे है। किन्तु जमाबंदी संवत 2070–73 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीगण के पिता का 1/4 हिस्सा ही दर्ज कर दिया है। इसलिये वादीगण दुरूस्ती करवाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश ने पिता मांग्या के जीवन काल में ही एक 100/– के स्टाम्प पेपर पर हकत्याग विलेख पिता वादीगण के पक्ष में दिनांक 4–10–12 को उप पंजीयक महवा के कार्यालय में पंजीबद्ध करवा दिया। इस प्रकार वादीगण का पिता सम्पूर्ण आराजी में 3/8 भाग का खातेदार काश्तकार हो गया। वादीगण के पिता मांग्या का दिनांक 01–10–2014 को देहान्त हो गया। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश उनके पिता की मृत्यु के बाद आराजी को काश्त करते रहे है तथा किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हे। प्रतिवादी संख्या 1 ने 1/8 हिस्सा पर बैंक से ऋण प्राप्त कर लिया तथा बैंक के अधिकारी जब वसूली के लिये गये तो पता चला कि वादीगण के पक्ष में हकत्याग शुदा आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 ने ऋण प्राप्त कर लिया है। पटवारी हल्का से विरासत का नामान्तरकरण खोलने को निवेदन किया तो पटवारी ने बताया कि हकत्याग का नामान्तरकरण अभी नहीं खुला है तथा बैंक

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

[illegible]

[illegible] ने ऋण का

[illegible] खुलवाने से इन्कार कर दिया इसलिये दावा बाबत घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती करना जरूरी हुआ है। वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है। वाद अन्दर मियाद है तथा कोर्ट फीस पूर्ण है। अतः वादीगण का वाद डिकी फरमाया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जबाब दावा प्रस्तुत करते हुये वादीगण के वाद तथ्यों को स्वीकार किया है। अन्य प्रतिवादीगण की तामील हो जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

1. नकल जमाबंदी संवत 2070–73 प्रदर्श पी 1
2. नकल जमाबंदी संवत 2043–46 प्रदर्श पी 2
3. नकल नामान्तरकरण संख्या 202 ग्राम कोण्डला प्रदर्श पी 3
4. नकल नामान्तरकरण संख्या 96 भू प्रबन्ध विभाग प्रदर्श पी 4

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

का नामान्तरकरण संख्या 202 प्रदर्श पी 3 पटवारी हल्का द्वारा खोला गया किन्तु उनके शपथ पत्रो के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा नन्दीराम पुत्र भजन व जगदीश पुत्र मांग्या के नाम स्वीकार किया गया । इसके अलावा खातेदार किशन का लाऔलाद फौत होने पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 96 भू प्रबन्ध विभाग प्रदर्श पी 4 भजन मांग्या पि. गुटका शेष बदस्तूर स्वीकार हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश पुत्र मांगया जाति माली निवासी कोण्डला ने अपना 1/8 हिस्सा द्वितीय पक्ष मांग्या पुत्र गुटका के पक्ष में हक त्याग कर दिया । किन्तु हक त्याग के आधार पर मांग्या पुत्र गुटका के पक्ष में नामान्तरकरण नहीं खुला और उसका देहान्त हो गया ।

हम सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात वर्तमान खातेदारी के बारे में विचार करते है तो वादग्रस्त भूमि की स्थिति निम्न प्रकार सामने आती है।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 केपूर्वज गुटका के चार पुत्र रामचन्द्र, भजन, किशन व मांग्या थे जिनमें से रामचन्द्र व किशन के हिस्सा की आराजी भजन व मांग्या या उनके वारिसान में समाहित हो गयी। इस प्रकार मृतक मांग्या के वारिसान वादीगण हरीसिंह राजाराम पुत्र मांग्या व प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश पुत्र मांग्या वादग्रस्त भूमि में 1/2 भाग के खातेदार हो गये व इसी प्रकार भजन के वारिसान बनैसिंह व

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में वादी हरीसिंह पीडब्लू 1 का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

वादीगण के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी जिसका मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी संवत 2070–73 प्रदर्श पी 1 का अवलोकन करते हैं तो पाते है कि ग्राम कोण्डला तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 411/0.33, 412/0.02, 413/0.35, 414/0.05, 415/0.70, 416/0.52, 417/0.50,418/0.03, 419/0.08, 450/0.06, 451/0.38, 453/0.06, 454/0.20 कुल किता 13 रकबा 3.28 हैक्टयर की खातेदारी मनीराम पुत्र भजन जगदीश पुत्र मांग्या भजन मांग्या पि. गुटका जाति माली सा.देह के नाम दर्ज है। इसके पश्चात खातेदार मनीराम ने खसरा नम्बर 412 के अलावा अन्य खसरा नम्बरान को विकय पत्र द्वारा मीरा पत्नि बनैसिंह जाति माली हि.1/8 विकय कर दिया जिसका नामान्तरकरण संख्या 278 द्वारा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया गया। नामान्तरकरण संख्या 279 दिनांक 5–9–14 से भजन पुत्र गुटका हि.1/4 के बजाय मनीराम पुत्र भजन बनैसिंह पुत्र रामरूप हि.1/4 स्वीकार किया गया। खातेदार रामचन्द पुत्र गुटका का देहान्त होने पर उसकी वारिस तीन पुत्री सरवती सोमोती रेशम के नाम विरासत

उपखण्ड अधिकारी
महवा (दौसा दौसा)

मनीराम 1/2 भाग के खातेदार हो गये । खातेदारा मनीराम द्वारा खसरा नम्बर 412 के अलावा अन्य खसरा नम्बरान हि.1/4 में से 1/2 हिस्सा मीरा पत्नि बनैसिंह को विक्रय कर दिया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि वादीगण अपने वाद को प्रमाणित करने में सफल रहे है तथा वादीगण का वाद डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम कोण्डला तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 411/0.33, 412/0.02, 413/0.35, 414/0.05, 415/0.70, 416/0.52, 417/0.50,418/0.03, 419/0.08, 450/0.06, 451/0.38, 453/0.06, 454/0.20 कुल किता 13 रकबा 3.28 हैक्टयर में खातेदार जगदीश पुत्र मांग्या व मांग्या पुत्र गुटका के स्थान पर वादीगण हरीसिंह राजाराम पि. मांग्या व प्रतिवादी जगदीश पुत्र मांग्या जाति माली निवासी कोण्डला तहसील महवा को 1/2 भाग का अर्थात प्रत्येक को 1/6–1/6 भाग का खातेदार घोषित किया जाता है। जगदीश पुत्र मांग्या के रहन यथावत रहेगा। मनीराम पुत्र भजन, बनैसिंह पुत्र रामस्वरूप व मीरा पत्नि बनैसिंह जाति माली निवासी कोण्डला तहसील महवा की प्रविष्ठियां यथावत रहेगी। वादीगण इसी प्रकार राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

रिकार्ड में प्रविष्ठियां करवाने के अधिकारी होगे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के हिस्सा तक उनके कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28–06–2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल योगी)
उपखण्ड अधिकारी
महुवा (जिला दौसा)